कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 954 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 18-11 ~~अक्टूबर~~, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत हलियाडोब लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 कि0मी0 में पड़ने वाली 4.981 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/37472/2015)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी/U.C.P/06/131/2020/एफ0सी0/1597 दिनांक–21.10.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–817/12–1 (2) दिनांक 20.09.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि नम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है। वचनबद्धता संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है। वचनबद्धता संलग्न है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487,2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटशेन से बचे।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427, 1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487, 2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892, 2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580, 3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003, 4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा। **(संलग्नक–01)**
	(ख) प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में से 3.00 हे0 MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में दर्शित MDF क्षेत्र वास्तव में झाडीनुमा है, तथा

	guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	उक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम [illegible] 1000 वृक्ष/हे0 की दर से वृक्षारोपण किया [illegible] सकता है। **(संलग्नक–02)**
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तातरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या-3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात–05/2022–23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 9.962 हे0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। उक्त सी0ए0 क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **(संलग्नक–03)**
	(घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–04)**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस सम्बन्ध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (PL-2) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से वाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–05)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। शपथ पत्र संलग्न। **(संलग्नक–06)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
6	राज्य सरकार village wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकारण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	State Govt-will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt-will strictly monitor	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कार्य की अनुमति संलग्न है। **(संलग्नक–07)**

	and ensure that no futher activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनों किनारो पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों की राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
16	सम्वन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं वनाया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विर्निदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

CS CamScanner

	अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौध लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को वापस के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई/की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक के पृष्ठांकन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के पृष्ठांकन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किए जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

संलग्न
(हस्ताक्षर)
(आस्वकोंग मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या- 754 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(हस्ताक्षर)
(आस्वकोंग मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

9c

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 04 / 27सी दिनांक 02/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अर्न्तगत हलियाडोव लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 किमी0 में पड़ने वाली 4.981 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। (प्रपोजल /FP/UK/ROAD/37472/2015)

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी. /U.C.P./06/ 131 /2020/एफ.सी./ 1597 दिनाक 21.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सविल खसरा न016,38,393,686,769.768, 1244, 1361 , 1427,1509,1691,1724,1872,1927.2346, 2487, 2556, 2559 ,2563 ,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88दिनांक 24.03.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र में से 3.00 हे० MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिर्पोट प्रस्तुत करेगे वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभन्नि प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अंर्तगत	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात–05/2022–23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 9.962 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

	विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालपन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	शुद्ध वतमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सवोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (PL- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009– में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88दिनांक 24.03.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	State Govt- will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt- will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधति जिला कलेक्टर से र्निधारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनशिचित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास	मान्य है।

	निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशार्निदेश फाइल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पयवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजिवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधनियिम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोट ई–पोटल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	

भवदीय

O/C

(इं0 संजीव भटट)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

पत्रांक 04 / 27सी
दिनांक 02 / 01 /2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

O/C

शर्त क्र० 3 (ग)

उद्धरण खतौनी (जै० ख० वि०) ग्राम- ऊणीसिरतोली, पट्टी- आमखल, तह०- चल, जिला- पि०

विषय:- ग्राम- ऊणीसिरतोली अन्तर्गत क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि के सम्बन्ध

खाता सं०	नाम भूमिधर एवं भूमिकी श्रेणी	खसरा सं०	क्षेत्रफल (है०) में	विवरण
38	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद	16	0.580	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के सैद्धान्तिक स्वीकृत पत्र सं. 8 बी/प्र० रा०प०/06/131/2010/ एफ. सी./1997 दिनांक 21.10.2020 तथा उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 2173/ XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निर्दिष्ट प्राविधानों तथा जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश सं० 179/सात-05/ 2022-23 दिनांक अक्टूबर 20, 2022 के अनुसार ग्राम- ऊणीसिरतोली, पट्टी- आमखल, तह०- चल की गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 38 श्रेणी 9(3)ड, बंजर काबिल आबाद के खेत नं०- 16 रकबा 0.580, 30 रकबा 0.123, 393 रकबा 0.113, 686 मि० 0.060, 766 रकबा 0.091 है०, 767 रकबा 0.132, 768 रकबा 0.107, 1244 रकबा 0.460, 1246 रकबा 0.066, 1361 रकबा 0.127, 1403 रकबा 0.060, 1427 रकबा 0.085 है०, 1447 रकबा 0.053, 1509 रकबा 0.378, 1510 रकबा 0.043, 1682 रकबा 0.106, 1691 रकबा 0.190, 1724 रकबा 0.203, 1792 रकबा 0.055, 1872 रकबा 0.475, 1927 रकबा 0.660, 1976 रकबा 0.060 है०, 2107 रकबा 0.014, 2346 रकबा 1.332 है०, 2458 रकबा 0.047, 2487 रकबा 0.100 है०, 2556 रकबा 0.180, 2559 रकबा 0.247, 2561 रकबा 0.065, 2563 रकबा 0.406, 2584 रकबा 0.063, 2645 रकबा 0.076, 2676 रकबा 0.240, 2689 रकबा 0.145, 2691 रकबा 0.228, 2812 रकबा 0.128, 2831 रकबा 0.187, 2835 रकबा 0.137, 3092 रकबा 0.043, 3094 रकबा 0.195, 3125 रकबा 0.310, 3149 रकबा 0.108, 3197 रकबा 0.067, 3336 रकबा 0.040 है०, 3518 रकबा 0.240, 3580 रकबा 0.180, 3602 रकबा 0.077, 3733 रकबा 0.073, 3796 रकबा 0.061, 3917 रकबा 0.142, 4023 रकबा 0.120, 4053 रकबा 4083 रकबा 0.048, 4146 रकबा 0.040 है०, 4159 रकबा 0.052, 4182 रकबा 0.190 है०, 4329 रकबा 0.004, 4510 रकबा 0.085 कुल 58 खेत कुल रकबा 9.962 है० भूमि राज्य सरकार के नाम से पृथक कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद किया। ह० 20.10.2022 राजस्व उपनिरीक्षक आमखल
		30	0.123	
		122	0.013	
		393	0.113	
		396	0.040	
		416	0.004	
		686	0.085	
		688	0.006	
		689	0.005	
		766	0.091	
		767	0.132	
		768	0.107	
		1244	0.460	
		1246	0.066	
		1247	0.028	
		1361	0.127	
		1368	0.008	
		1369	0.011	
		1403	0.060	
		1419	0.030	
		1421	0.014	
		1427	0.085	
		1430	0.026	
		1431	0.004	
		1447	0.053	
		1509	0.378	
		1510	0.043	
		1515	0.025	
		1682	0.106	
		1689	0.035	
		1691	0.190	
		1724	0.203	
		1782	0.033	
		1789	0.008	

खातेदार एवं भूमि की श्रेणी	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे०) में	विवरण
उपरोक्त	* 1792	0.055	—
	1793	0.006	
	1794	0.006	
	↓	↓	
	* 1872	0.475	
	1873	0.006	
	1874	0.004	
	↓	↓	
	* 1927	0.660	
	* 1976	0.060	
	* 2107	0.014	
	↓	↓	
	* 2346	1.332	
	2380	0.014	
	2402	0.005	
	↓	↓	
	* 2458	0.047	
	2470	0.035	
	2477	0.010	
	* 2487	0.100	
	* 2556	0.180	
	* 2559	0.247	
	* 2561	0.065	
	* 2563	0.406	
	* 2584	0.063	
	↓	↓	
	* 2645	0.076	
	* 2676	0.240	
	* 2689	0.145	
	* 2691	0.228	
	↓	↓	
	* 2812	0.128	
	2813	0.005	
	2814	0.005	
	↓	↓	
	* 2831	0.187	
	* 2835	0.137	
	2867	0.010	
	↓	↓	
	* 3092	0.043	
	* 3094	0.195	
	* 3125	0.310	
	* 3149	0.108	
	↓	↓	
	* 3197	0.067	
	3325	0.008	
	3326	0.008	
	↓	↓	
	* 3336	0.040	
	3364	0.003	
	3365	0.005	

ग्राम भूमिधर (स्व ग्राम का नाम)	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हे० म)	विवरण
उपरोक्त	* 3518	0.240	
	3519	0.005	
	3520	0.005	
	↓	↓	
	* 3580	0.180	
	3583	0.015	
	* 3602	0.077	
	↓	↓	
	* 3733	0.073	
	3735	0.016	
	3745	0.005	
	↓	↓	
	* 3796	0.061	
	3805	0.005	
	3813	0.004	
	↓	↓	
	* 3917	0.142	
	3929	0.005	
	3938	0.004	
	↓	↓	
	* 4023	0.120	
	4025	0.009	
	4028	0.021	
	↓	↓	
	* 4053	0.065	
	4071	0.005	
	4081	0.004	
	* 4083	0.048	
	↓	↓	
	* 4146	0.040	
	4151	0.004	
	4152	0.008	
	↓	↓	
	* 4159	0.052	
	4169	0.020	
	4170	0.016	
	* 4182	0.190	
	↓	↓	
	* 4329	0.004	
	4331	0.004	
	4334	0.002	
	↓	↓	

क्रमशः पृष्ठ 4 पर -

शर्त (ख) 3(ग)

भूमिधर एवं भूमि की श्रेणी	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हे० मे०)	विवरण
उपरोक्त	४. 4510 4528 4537	0.085 0.063 0.028	—
योग	386	13.525 हे०	-

सत्यापित, उद्धरण खतौनी तैयार किया,

20.12.2022
(संजीव द्विवेदी)
संजीव उपनिरीक्षक
क्षेत्र ग्रामपाल
तह० पूरनपुर जिला-पीलीभीत
दि० 20.12.2022

2872
27 की
13/11/2022

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/131/2020/एफ.सी./1997 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में हलियाडोब–लछिमा–ओखरानी–नाचनी मोटर मार्ग विस्तार में ली जा रही 4.981 हे0 वन भूमि के बदले 9.962 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में हलियाडोब–लछिमा–ओखरानी–नाचनी मोटर मार्ग विस्तार में ली जा रही 4.981 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उणीरितोली पट्टी आमथल तहसील थल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–38 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 16 रकवा 0.580 हे0, 30 रकवा 0.123 हे0, 393 रकवा 0.113 हे0, 886 मध्ये रकवा 0.060 हे0, 766 रकवा 0.091 हे0, 767 रकवा 0.132 हे0, 768 रकवा 0.107 हे0, 1244 रकवा 0.460 हे0, 1246 रकवा 0.066 हे0, 1361 रकवा 0.127 हे0, 1403 रकवा 0.060 हे0, 1427 रकवा 0.085 हे0, 1447 रकवा 0.053 हे0, 1509 रकवा 0.378 हे0, 1510 रकवा 0.043 हे0, 1682 रकवा 0.106 हे0, 1691 रकवा 0.190 हे0, 1724 रकवा 0.203 हे0, 1792 रकवा 0.055 हे0, 1872 रकवा 0.475 हे0, 1927 रकवा 0.660 हे0, 1976 रकवा 0.060 हे0, 2107 रकवा 0.014 हे0, 2346 रकवा 1.332 हे0, 2458 रकवा 0.047 हे0, 2487 रकवा 0.100 हे0, 2556 रकवा 0.180 हे0, 2559 रकवा 0.247 हे0, 2561 रकवा 0.065 हे0, 2563 रकवा 0.406 हे0, 2584 रकवा 0.063 हे0, 2645 रकवा 0.076 हे0, 2676 रकवा 0.240 हे0, 2689 रकवा 0.145 हे0, 2691 रकवा 0.228 हे0, 2812 रकवा 0.128 हे0, 2831 रकवा 0.187 हे0, 2835 रकवा 0.137 हे0, 3092 रकवा 0.043 हे0, 3094 रकवा 0.195 हे0, 3125 रकवा 0.310 हे0, 3149 रकवा 0.108 हे0, 3197 रकवा 0.067 हे0, 3336 रकवा 0.040 हे0, 3518 रकवा 0.240 हे0, 3580 रकवा 0.180 हे0, 3602 रकवा 0.077 हे0, 3733 रकवा 0.073 हे0, 3796 रकवा 0.061 हे0, 3917 रकवा 0.142 हे0, 4023 रकवा 0.120 हे0, 4053 रकवा 0.065 हे0, 4083 रकवा 0.048 हे0, 4140 रकवा 0.040 हे0, 4159 रकवा 0.052 हे0, 4182 रकवा 0.190 हे0, 4329 रकवा 0.004 हे0, 4510 रकवा 0.085 हे0, कुल 58 खेतों की 9.962 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, थल स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अक्टूबर,19, 2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

अमीन 11/11/22
11/11/2022

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 179 /सात– 05 /2022–23 दिनांक अक्टूबर, 20, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
4. तहसीलदार थल को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथोरागढ़ में लो0नि0वि0 अन्तर्गत हलियाडोव–लछिमा–ओखरानी–नाचनी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 4.981 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उणीसिरतोली पट्टी आमथल तहसील थल के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–38 श्रेणी–9(3)ड़ वंजर काविल आवाद के खेत सं0 16 मध्ये रकवा 0.580 हे0, 30 रकवा 0.123 हे0, 393 रकवा 0.113 हे0, 886 मध्ये रकवा 0.060 हे0, 766 रकवा 0.091 हे0, 767 रकवा 0.132 हे0, 768 रकवा 0.107 हे0, 1244 रकवा 0.460 हे0 1246 रकवा, 0.066 हे0, 1361 रकवा 0.127 हे0, 1403 रकवा 0.060 हे0, 1427 रकवा 0.085 हे0, 1447 रकवा 0.053 हे0, 1509 रकवा 0.378 हे0, 1510 रकवा 0.043 हे0, 1682 रकवा 0.106 हे0, 1691 रकवा 0.190 हे0, 1724 रकवा 0.203 हे0, 1792 रकवा 0.055 हे0, 1872 रकवा 0. 475 हे0, 1927 रकवा 0.660 हे0, 1976 रकवा 0.060 हे0, 2107 रकवा 0.014 हे0, 2346 रकवा 1.332 हे0, 2458 रकवा 0.047 हे0, 2487 रकवा 0.100 हे0, 2556 रकवा 0.180 हे0, 2559 रकवा 0.247 हे0, 2561 रकवा 0.065 हे0, 2563 रकवा 0.406 हे0, 2584 रकवा 0.063 हे0, 2645 रकवा 0.076 हे0, 2676 रकवा 0.240 हे0, 2689 रकवा 0.145 हे0, 2691 रकवा 0.228 हे0, 2812 रकवा 0.128 हे0, 2831 रकवा 0.187 हे0, 2835 रकवा 0.137 हे0, 3092 रकवा 0. 043 हे0, 3094 रकवा 0.195 हे0, 3125 रकवा 0.310 हे0, 3149 रकवा 0.108 हे0, 3197 रकवा 0.067 हे0, 3336 रकवा 0.040 हे0, 3518 रकवा 0.240 हे0, 3580 रकवा 0.180 हे0, 3602 रकवा 0.077 हे0, 3733 रकवा 0.073 हे0, 3796 रकवा 0.061 हे0, 3917 रकवा 0.142 हे0, 4023 रकवा 0.120 हे0, 4053 रकवा 0.065 हे0, 4083 रकवा 0.048 हे0, 4140 रकवा 0.040 हे0, 4159 रकवा 0.052 हे0, 4182 रकवा 0.190 हे0, 4329 रकवा 0.004 हे0, 4510 रकवा 0. 085 हे0 कुल 58 खेतों की 9.962 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 179/सात–05/2022–23 दिनांक 20.10.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
बेरीनाग

शर्त सं० - 4

V.No. 88 dt 24/3/22

Bill Type : Normal

...nt Date - 22-3-2022

...saction ID - W03801422903221000

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

...जनपद का नाम : पिथौरागढ़

...कोषागार का नाम : बेरीनाग

...देयक की अवधि कब से .... कब तक

...कार्ड कोड : 1 | 0 | 3

कोषागार/उपकोषागार का कोड : 3 | 8 | 0 | 1

...देयक पंजी की क्रम संख्या : 3 | 0

...वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) : 0 वाउचर दिनांक : -

...मतदेय/भारित : मतदेय

...लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक) : 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

- आहरण वितरण अधिकारी का कोड : 4 | 2 | 2 | 9

- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य ...nect अनुदान संख्या 14- सोर्स कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	35909536	30873841	5035695

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	66,31,544
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**66,31,544**

...LY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**66,31,544**

...त किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की ... औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवपर्वों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खण्डीय लेखाकार
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउंटरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

... रू0 66,31,544 (Rupees Sixty Six Lacs Thirty One Thousand Five Hundred Forty Four Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता

... द्वारा रू0 -

...धनराशि रू0 ...

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP3801422903221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137472544	6631544	0	0	6631544
				6631544	**0**	**0**	**6631544**

[illegible]
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
[illegible] (पिथौरागढ़)

शर्त सं० 4

ead of Account ......Haliyadob Lachhima of charandi Towards Nachani m/R Rs 6631544/=

A.E.

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

ash-book Voucher No. ......88...... dated 24/3/22

Paid by Cheque/Cash Rupees (6631544/=.............. to CAMPA

Paid by me ....

CEIVED from the E.E. Ty. DIV... in charge of P.W.D. Berinag

b-Division ......A.E...................... Division the sum of the

(Sixty six Lakh Thirty one thousand five hundred fourty four only

me of work or purpose for which is made

पत्र सं० 144/25 budget (N.P.V.)/2021-22

.... – 22 (Amount in Vernacular) दि० 28/2/22

te, W038014229032240000 C/S For Rs 6631544=

22-3-22 Rs 6631544=

Signature of Payees

E.E.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Bank of India

CAMPA Funds

V PWD BERINAG

544

06/131/2020/FC

NCHAL

rinag Pithoragarh

/-

y-One Thousand Five

per following details,

details,

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896137472544 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896137472544 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Haliyadob Lachhima okcharandi

ead of Account ....Towards Nachani m/R Paid Rs 6631544/=

A.E.

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

ash-book Voucher No. ....88........dated 24/3/22

Paid by Cheque/Cash Rupees (6631544/=........to CAMPA

Paid by me ....

CEIVED from the E.E. Ty. DIV... in charge of P.W.D. Berinag

b-Division ........A.E........ Division the sum of the

(Sixty six Lakh Thirty one thousand five hundred

me of work or purpose for which is made Fourty four only

पत्र सं० 144/25 budget (N.P.V.)/2021-22

गा० -22 (Amount in Vernacular) दि० 28/2/22

C/s For Rs 6631544 =

te. W038014229032210000

dt. 24-3-22 Rs. 6631544=0

nes .... Signature of Payees

E.E.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

details,